

दिनांक:—26.06.2019

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेशी में ली गयी। प्रार्थी स्वयं उपस्थित पहचान अधिवक्ता श्री राजेश बुडानिया वकील ने की। राजीनामा होने से जरिये Withdrawl खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकृत किया जाकर दिनांक 20.05.2019 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज जरिये Withdrawl किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।